फर्द अहकाम
बनाम

नाम न्यायालय
केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	17/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक पक्ष उप०। पत्रावली में मुतालिक प्रा.पत्र विचाराधीन होने से पत्रावली पूर्ववत् दिनांक 24/1/25 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	24/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक पक्ष उप०। वकील प्रतिवादी द्वारा मुतालिक प्रा.पत्र 248/2024 नकल पेश कर पत्रावली में विचाराधीन प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 पर बहस करने हेतु निवेदन किया। वकील वादी ने प्रा.पत्र धारा 151 CPC पेश किया। वकील प्रतिवादी ने प्रा.पत्र धारा 151 CPC पर बहस हेतु निवेदन किया। वकील उभय पक्षों की बहस प्रा.पत्र धारा 151 CPC पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र के साथ दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया। अतः दस्तावेजों के अभाव में प्रा० पत्र धारा 151 CPC खारिज किया जाता है। वकील प्रतिवादी के निवेदन पर प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार किया जाता है तथा वादपत्र निरस्त। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाकर पृथक से लिखवाया गया। निर्णय शामिल मिसल किया गया। पत्रावली कार्यवाही पूर्ण होकर नियम से तकमील बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
222/2012

तारीख फैसला
24/01/2025

मांगीलाल पुत्र बिज्या (विजय लाल)

1/1 नाथूलाल पुत्र मांगीलाल

1/2 गीता पत्नि स्व. श्रवणलाल

1/3 मीना पुत्री स्व. श्रवणलाल

1/4 अशोक पुत्र स्व. श्रवणलाल

पेमाराम पुत्रपुत्र बिज्या (विजय लाल)

कालूराम पुत्र बिज्या (विजय लाल)

समस्त आयु वयस्क समस्ज जाति रेगर समस्त निवासीग्राम जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1 विरेन्द्र कुमार पुत्र रामकरण जाति महाजन निवासी ग्राम कोटपूतली तहसील कोंटपूतली जयपुर राजस्थान।

2 ओमप्रकाश (फोत) पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी प्रेमनगर खातीपुरा रोड झोटवाडा जयपुर राजस्थान।

2/1 श्रीमति रेनु पत्नि सा. श्री ओमप्रकाश

2/2 श्री हिमांशु पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश

2/3 श्री चितरांश पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश

समस्त आयु वयस्क समस्ज जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम प्रेमनगर खातीपुरा रोड झोटवाडा जयपु राज.

3 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जयपुर ।

प्रतिवादीगण

निर्णय

प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत इन आधारों पर पेश किया कि भूमि खसरा नं. 685 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा ग्राम व तहसील जमवारामगढ के संबंध में वादीगण ने इन आधारों पर पेश किया है कि वादीगण के पूर्वज स्व0 श्री बीज्या का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रारम्भ होने से पूर्व से कब्जा था जो उनके नाम राजस्व भू– अभिलेखों में बहैसियत खुदकाश्त अंकित हे। इसलिए वादीगण उकत भूमि के कानूनन खातेदार काश्तकार हो गये है। सम्वत 2008 से 2027 में अंकित हे जिसे राजस्व कर्मचारियों से साज कर एकीकरण खतोनी के राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता बीजा के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित करवा लिया तथा उक्त भूमि वादग्रस्त का प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को बेचान कर दिया। इसलिए वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध वादकारण उत्पन्न होकर यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हे। वाद मृतक व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त हो जाने के उपरान्त भी उसके विरूद्ध वादकारण उत्पन्न होने का कथन करते हुये प्रस्तुत किया गया हे, जो स्पष्टतया मृतक व्यक्ति के विरूद्ध एवं असत्य व कपोलकल्पित वादकारण पर आधारित होने के

उपखण्ड अधिकारी

कारण विधि द्वारा वर्जित वाद होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वाद पत्र में वादीगण ने यह भी अंकित किया है कि एकीकरण के दौरान की गयी सकल समस्त कार्यवाही अवैध एवं अधिकारिता है जिसे निरस्त किया जाकर साबिका खसरा नं. 1860 रकबा 80 बीघा 17 बिस्वा से बनाये गये वर्तमान खसरा नं. 685 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा को पुनः वादीगण के नाम अंकित किया जावे। तहसील जमाबंदी में सम्वत 2008 से 2027 की अवधि के दौरान हुये एकीकरण में की गयी उपरोक्त वर्णित कार्यवाही राजस्थान होल्डिंग्स (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) एक्ट 1954 के तहत की गयी कार्यवाही है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी अधिनियम विशेष के तहत पारित आदेश अथवा की गयी कार्यवाही को उसी अधिनियम विशेष के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। राजस्थान होल्डिंग्स एक्ट के अनुसार एकीकरण के दौरान की गयी कार्यवाहियों को उक्त अधिनियम की धारा 37 के अनुसार मात्र राजस्थान राज्य सरकार को ही की गयी कार्यवाही की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार है, किसी अन्य न्यायालय को उक्त अधिनियम के तहत पारित आदेश अथवा एकीकरण की कार्यवाही के विरूद्ध कोई वाद अथवा अपील आदि सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्थान होल्डिंग्स (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) एक्ट 1954 की धारा 35 में की गयी व्यवस्था के अनुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया वाद विधि द्वारा स्पष्टतया वर्जित एवं विधि विरूद्ध वाद होने के कारण पोषणीय नहीं है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के उप नियम (डी) के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के तहत प्रस्तुत किया गया उपरोक्त स्थायी वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पोषणीय ना होने अर्थात विधि वर्जित वाद होने के कारण विचारण के इसी प्रक्रम पर निरस्त किये जाने योग्य है। 7 नियम 11 के उप नियम (ए) बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को मूलक स्वामित्व के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया वाद, वादकारण का अभाव एवं माननीय न्यायालय को उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त ना होने के कारण आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उप नियम (ए) व (डी) के तहत विचारण के इसी प्रक्रम पर निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र का जवाब वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया कि आराजीयात पर बीज्या के उत्तराधिकारियों के रूप में वादीगण काबिज काश्त है प्रतिवादीगण संख्या 1 की मृत्यु का तथ्य आज प्रार्थना पत्र के जरिये ज्ञात हुआ है यह सत्य भी है तो दुरूस्तनीय है। वादी ने एकीकरण के दौरान अनियमितताओं के विरूद्ध कोई अपील अथवा एकीकरण के दौरान हुई कार्यवाही को चुनौती नहीं दी। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद माननीय न्यायालय को सुनने व फैसला करने का अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। वादीगण/अप्रार्थीगण का वाद घोषणा खातेदारी का है जो किसी भी विधि द्वारा वर्जित नहीं है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र मात्र जवाबदावे से बचने एवं वाद को लम्बे समय तक लम्बित रखने की गरज से माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया है जो काबिले खारिज है।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने कहा कि वादी ने बिज्या पुत्र हरला का वारिस होने के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जबकि स्वयं वादीगण ने जो रिकॉर्ड पेश किया है उसमें खतौनी बन्दोबस्त 2008 से 2027 में विवादित भूमि के गत खसरा नं. 1860 में बिजा.... चन्दा पुत्र भवाना जाति रैगर अंकित है जिससे स्पष्ट है कि बिजा पुत्र हरला का कोई संबंध विवादित भूमि से नहीं रहा है ना ही तो वादीगण के पिता बिजा भवाना के पुत्र है और ना ही वादीगण को वाद पेश करने का लोकस स्टेण्डाई है और चन्दा पुत्र भवाना के कोई वारिस भी वाद में पक्षकार नहीं बनाये गये है और ना बिजा पुत्र भवाना से वादीगण का कोइ संबंध है। इसलिए बोगसलिटीगेशन को बढ़ावा देने वाले वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाना चाहिये तथा राजस्थान होल्डिंग्स (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेशन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) एक्ट 1954 की धारा 35 एवं 37 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत इतने वर्षो बाद एकीकरण की कार्यवाही में गलत इन्द्राज को चेलेन्ज करने के आधार पर वाद पेश किया गया है जो उपरोक्त विशेष अधिनियम द्वारा विधि वर्जित है तथा वाद पत्र पेश किये जाने के समय प्रतिवादी संख्या 1 जीवित नहीं था जिसके विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न होना बताया है जो कि स्पष्ट तौर पर वाद कारण के अभाव में वाद निरस्तनीय है। वाद पत्र के मद संख्या 3 में वादीगण ने अंकित किया है कि एकीकरण विभाग ने उक्त त्रुटिपूर्ण एवं अधिकार विहिन कार्यवाही की है जबकि उक्त कन्सोलिडेशन एक्ट एण्ड प्रिवेशन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) एक्ट 1954 के प्रावधान स्पष्ट है कि एकीकरण के दौरान की गई कार्यवाही को इसी न्यायालय में चुनोती नहीं दी जायेगी क्योंकि एकीकरण की कार्यवाही एक विशेष अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही है। अपने कथनो के समर्थन में आर. आर. डी. 1972 पेज नम्बर 322 पर प्रकाशित माननीय राजस्व मण्डल के फैसले श्रीमति गोविन्द कंवर बनाम शिवदान सिंह दिनांक 16 अगस्त 1972 का हवाला देते हुये कहा कि राजस्थान होल्डिंग्स (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेशन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) एक्ट 1954 की धारा 35 एवं 37 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत किसी न्यायालय में वाद अथवा कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसलिए वाद इसी स्तर पर नामंजूर किया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी, वाद पत्र, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2008 से 2027 का अवलोकन किया। प्रस्तुत खतोनी में विवादित भूमि के गत खसरा नं. 1860 जिससे बने नम्बर 685 है जो

दायरी के दोरान नम्बर 685 है। जिसके रिकार्ड बिजा ..... चन्दा पुत्र भवाना अंकित है। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित सजरें में बिजा पुत्र हरला के वारिस वादीगण ने स्वयं को अंकित किया है वादीगण ने लोकस स्टेण्डाई वादांकित भूमि के संबंध में वाद पेश करने हेतु स्पष्ट नहीं किया है तथा वाद कारण मृतक के विरूद्ध उत्पन्न होने की आपत्ति को जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया है और मद संख्या 3 में एकीकरण विभाग के द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं अधिकार विहिन कार्यवाही को दर्शाते हुये वाद इस आधार पर पेश किया है कि एकीकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना नाम अंकित करवा लिया जबकि एकीकरण से पूर्व और एकीकरण के पश्चात दोनो पक्षकारों की जमाबन्दी अथवा खतौनी भी पेश नही है और एकीकरण की कार्यवाही को उक्त राजस्थान होल्डिंग्स (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेशन ऑफ फेगमेन्टेशन) एक्ट 1954 की धारा 35 एवं 37 के प्रावधानों के विपरीत आर.आर.डी. 1972 पेज नम्बर 322 पर प्रकाशित उक्त निर्णय गोविन्द कंवर बनाम शिवदान सिंह के अनुसार किसी न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया जा सकता है इस प्रकार विशेष अधिनियम द्वारा बाधित होने से वाद विधि विरूद्ध होकर इसी स्तर पर नामंजूर किया जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र विधि विरूद्ध होने से इसी स्तर पर नामंजूर किया जाकर खारिज किया जाता है।निर्णय अनुसार डिकी जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर